

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान प्र0सं0 40/2023 श्रीमति सुधारानी बनाम जगदीश जाट वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	---	---

19/5/26

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/3542 दिनांक 04.11.2025 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.03.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विभाजन प्रस्ताव को वादी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्रेषित सूचना पत्र लेने से इंकार किया, मौके पर विभाजन प्रस्ताव पढ़ सुन समझकर हस्ताक्षर करने से इंकार किया, का अंकन विभाजन प्रस्ताव में प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने के उपरांत कोई उपस्थित नहीं। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के द्वारा कोई आपति पेश नहीं। अतः तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-

ग्राम सांगानेर प0 ह0 सांगानेर भू0अ0नि0 क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा

खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा
1. श्रीमति सुधारानी पत्नि सुबोध बाहेती 10-बी-19 आर.सी.व्यास कॉलोनी भीलवाडा।	2297/1/2	0.3488 है0
कुल किता 01 कुल रकबा 0.3488 हैक्टेयर		
1. जगदीश पुत्र जीतू हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार	2297/1/1	0.6976 है0
2. रामप्रसाद पुत्र जीतू हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार		
कुल किता 01 कुल रकबा 0.6976 हैक्टेयर		

तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 19/5/2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो और जारी रहने ही

19/5/26
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या
40/2023

पीठासीन अधिकारी:- अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

दायर दिनांक
04.04.2023

निर्णय दिनांक
.....2026

- उनवान**
- श्रीमति सुधारानी पति सुबोध कुमार बाहेती निवासी 10-बी-19 आर.सी.व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।

—वादी

- बनाम**
- श्री जगदीश पुत्र जीतू जाट निवासी बलाई मोहल्ला सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
 - श्री रामप्रसाद पुत्र जीतू जाट निवासी जाटो के मन्दिर के सामने शाहपुरा दरवाजा सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
 - राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा राज0 उपस्थित:-

— प्रतिवादीगण

- वादी अधिवक्ता श्री संजय कुमार सेन उपस्थित।
- वि0 सं0 01 लगा0 02 उपस्थित नहीं।
- विपक्षी संख्या 03 पैरोकार सरकार उपस्थित।


वादपत्र बाबत विभाजन कराये जायदाद एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी अधिवक्ता श्री संजय कुमार सेन एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 02 उपस्थित नहीं। प्रकरण में — इस वाद में तारीख2026 पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-

. ग्राम सांगानेर प0 ह0 सांगानेर भू0अ0नि0 क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा

खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा
1. श्रीमति सुधारानी पत्नि सुबोध बाहेती 10-बी-19 आर.सी.व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा।	2297 / 1 / 2	0.3488 है0
कुल किता 01 कुल रकबा 0.3488 हैक्टेयर		
1. जगदीश पुत्र जीतू हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार	2297 / 1 / 1	0.6976 है0
2. रामप्रसाद पुत्र जीतू हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार		
कुल किता 01 कुल रकबा 0.6976 हैक्टेयर		

तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। तहसीलदार भीलवाड़ा उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।


 (अरुण कुमार जैन)
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर
 भीलवाड़ा